नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(सामान्य प्रशासन विभाग)

संकल्प संख्या –......1098......../ दिनांक 01-12-16

N-I/ Tirhut-Alleg-13026/2013

श्री राधाकृष्ण राम, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत, जब विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीतामढ़ी में विद्युत कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे तो दिनांक 08.04.2013 को उर्जा सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में आयोजित सीक्षात्मक बैठक में विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीतामढ़ी से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के कम में पाया गया कि श्री राम द्वारा जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदलने, मानपठन, विपत्र वितरण, मीटर अधिष्ठापन, राजस्व संग्रहण एवं उर्जा चोरी के विरूद्ध छापामारी से संबंधित कार्यों में शिथिलता बरती गई, जिस कारण विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीतामढ़ी का प्रदर्शन लक्ष्य से काफी कम पाया गया। फलतः कम्पनी को राजस्व क्षति हुई।

उपर्युक्त आरोपों के आलोक में कम्पनी के पत्रांक 03 दिनांक 12.04.2013 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसका जवाब दस दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु उन्हें निदेशित किया गया। परन्तु श्री राम ने निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया। अतः सक्षम प्राधिकार द्वारा यह मानते हुए कि श्री राम को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है, के विरूद्ध संकल्प संख्या 108 दिनांक 02.05.2013 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड' प्रदान किया गया।

श्री राम द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध दिनांक 22.02.2016 को अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित अपील के आलोक में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2016 को अपीलार्थी की व्यक्तिगत सुनवाई की गई।

सुनवाई के कम में श्री राम द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्ती बोर्ड के पत्रांक 03 दिनांक 12.4.2013 द्वारा जो स्पष्टीकरण पूछा गया था एवं संकल्प संख्या 108 दिनांक 02.05.2013 द्वारा प्रदत्त दण्डादेश में उस स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किये जाने का उल्लेख है, का जवाब उन्होंने अपने पत्रांक 872 दिनांक 07.05.2013 द्वारा समर्पित किया था। इस प्रकार यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री राम ने स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया था परन्तु उसकी समीक्षा नहीं हो सकी।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण मामले पर सम्यक विचारोपरांत, पारित आदेश के आलोक में, संकल्प संख्या–600 दिनांक 22.06.2016 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:–

1) श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की जाय एवं तदुपरांत प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, निर्णय लेंगे ।

2) इस बीच संकल्प संख्या 108 दिनांक 02.05.2013 द्वारा प्रदत्त दण्ड स्थगित रहेगा।

संकल्प संख्या 600 दिनांक 22.06.2016 में पारित आदेश के आलोक में श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता (संचालन एवं सम्पोषण) से मन्तव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मन्तव्य, श्री राम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं मामले से संबंधित अन्य अभिलेखों की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा उन्हें आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, श्री राधाकृष्ण राम तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को संकल्प संख्या 108 दिनांक 02.05.2013 द्वारा प्रदत्त दण्ड को निरस्त करते हुए, आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री राधाकृष्ण राम, सेवानिवृत, विद्युत कार्यपालक अभियंता, सी0/ओ0 आई, सी0 यादव, ए0 जी0 कॉलोनी, मेन मार्केट, लाल बहादुर शास्त्रीनगर, पटना–23 को अग्रसारित की जाय।

आदेश से,

(राकेश रंजन)

विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0 सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ---1099---/ ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक --01-12-16

प्रतिलिपिः—अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/तकनीकी सचिव/अवर सचिव/निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड के अवर सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ---1099---/ ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक --01-12-16

प्रतिलिपिः—निदेशक (परियोजना)/सभी महाप्रबंधक/सभी मुख्य अभियंता/सभी उपमहाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/सभी उप महाप्रबंधक—सह—विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0)/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/श्री राधाकृष्ण राम, सेवानिवृत विद्युत कार्यपालक अभियंता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ---1099---/ ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक --01-12-16

प्रतिलिपिः—महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/उपमहाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)/अवर सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)